भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5034
01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः लीची में संक्रमण संबंधी परामर्शी निर्देश

5034. श्री उज्जवल रमण सिंहः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने लीची किसानों के लिए लीची की खेती में कीटों के प्रकोप को देखते हुए कोई परामर्शी निर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा लीची के मौसम में लीची में बदबूदार कीट, दहिया कीट और लीची माइट के प्रकोप की संभावना को देखते हुए लीची के बागों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र (आईसीएआर-एनआरसीएल), मुजफ्फरपुर ने लीची किसानों को कीट संक्रमण के प्रबंधन में सहायता के लिए सलाह जारी की है। ये सलाह लीची फल और शूट बोरर (*कोनोपोमोर्फा साइनेंसिस*), लीची बदबूदार कीट (लीची स्टिंक बग) और लीची माइट जैसे सामान्य कीटों के प्रबंधन के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) कार्यनीतियों पर केंद्रित हैं। ये सलाह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र (आईसीएआर-एनआरसीएल) संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और समाचार पत्रों, टीवी चैनलों, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे विभिन्न तरीकों से भी प्रसारित की जाती हैं। लीची के कीटों (लीची बदबूदार कीट, दहिया कीट और लीची माइट) के प्रबंधन के लिए लीची उत्पादकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए संस्थान द्वारा किसान वैज्ञानिक मासिक बातचीत बैठक, क्षेत्र दिवस, किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और आयोजित किए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्य सरकारों के कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) और कृषि विभाग के अधिकारियों को भी सलाह जारी की जा रही है और लीची के कीट और रोग प्रबंधन के संबंध में किसानों के साथ-साथ बिहार सरकार के क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।

******